

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/नियुप्रको/नियु-2/982/टीजीटी-2018/2018-19

दिनांक : 02.06.2018

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018

गैर-अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) लेवल प्रथम- सामान्य शिक्षक

--संशोधित कट ऑफ मार्क्स--


राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 के क्रम में विज्ञापन संख्या 01/2018 दिनांक 12.04.2018 द्वारा गैर-अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापकों के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापित जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 लेवल प्रथम सामान्य शिक्षक गैर-अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) के विज्ञापित पदों की संख्या तक अभ्यर्थियों द्वारा ऑन-लाइन भरे गये RTET 2011/RTET 2012/REET 2015/REET 2017 लेवल प्रथम के अधिकतम प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों के वर्गवार कट ऑफ मार्क्स दिनांक 01.06.2018 को जारी की गई जिसमें अपेक्षित आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार संशोधित वर्गवार कट ऑफ जारी की जाती है-

CATEGORY		RTET/REET (%)	DOB
GEN	MALE	74.00	19/11/1990
	FEMALE		
	WD	ALL	
	DIV	ALL	
OBC	MALE	72.00	17/06/1995
	FEMALE		
	WD	ALL	
	DIV	ALL	
MBC	MALE	70.67	25/01/1992
	FEMALE	70.67	19/10/1993
	WD	ALL	
	DIV	ALL	
SC	MALE	68.00	01/06/1991
	FEMALE		
	WD	ALL	
	DIV	ALL	
ST	MALE	65.33	19/08/1988
	FEMALE		
	WD	ALL	
	DIV	ALL	
SAHARIYA	MALE	ALL	
	FEMALE	ALL	
	WD	ALL	
	DIV	ALL	

HORIZONTAL RESERVATION			
CATEGORY		RTET/REET (%)	DOB
PH	LD	69.33	03/07/1996
	BL	ALL	
SPORTS PERSON		ALL	
EX-SERVICE MAN		ALL	

उक्त भर्ती के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2018 को जारी प्रोविजनल नामवार सूची को प्रत्याहरित करते हुए उपरोक्त कट ऑफ मार्क्स अनुसार वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों की संशोधित नामवार प्रोविजनल सूची विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.gov.in/elementary पर जारी की जा रही है। उक्त वर्गवार कट ऑफ मार्क्स/प्रोविजनल सूची के संबंध में यदि किसी आशार्थी को किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति हो तो वह अपनी परिवेदना दिनांक 05.06.2018 तक विभागीय ई-मेल आई.डी. niyukti.ele@gmail.com पर या कार्यालय समय में सायं 6.00 बजे तक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में उक्त शिक्षक भर्ती के संबंध में विभिन्न विषयक लंबित/विचाराधीन प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्याधीन एवं राज्य सरकार स्तर पर लिये जाने वाले अंतिम निर्णयानुसार रहेगा।


निदेशक,

प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर